

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 515/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. मोहित पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट उम्र 17 वर्ष निवासी मुनावाली हालनिवसी कनवानी नाबालिग जरिये कुदरतिबली माता रानीदेवी पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ(राज0)।
2. प्रियकां रानी पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट उम्र 16 वर्ष निवासी मुनावाली हालनिवसी कनवानी नाबालिग जरिये कुदरतिबली माता रानीदेवी पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ(राज0)।

- वादीगण

बनाम

1. विद्यादेवी पत्नी मघराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री अर्जुनलाल वर्मा वकील-वादीगण

श्री निर्मल महेश्वरी वकील प्रतिवादी सं. 1

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक- 29.7.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 12 बी.पी. एम. तहसील रावतसर के प.न. 204/410(10) के किला न. 5/1.5/2, 6, 15, 16, 25 की 0.7340 है0अनकमाण्ड, 0.0250 है0गै.मु.खाला., 0.5060 है0कमाण्ड व प.न. 205/410(9) के किला न. 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 9, 10, 11, 12, 18 ता 23 की 2.8600 है0कमाण्ड, 0.0500 है0गै.मु.खाला, प.न. 206/410(8) के किला न. 1, 2, 9, 10, 11, 12/2 की 1.3410 है0कमाण्ड, कुल 5.5160 है0 में से 1/3 हिस्सा भूमि से प्रतिवादी सं. 1 विद्यादेवी का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को ब हिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्कैन अपना-अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29.7.2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

